रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243765 CG-DL-E-21022023-243765

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] No. 100] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

सं. आरए—14026(11)/3/2019—केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को दिनांक 12.02.2022 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग—III, खंड 4, सं. 85 में प्रकाशित किया गया था।

चूंकि, सहायक सेवाए विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा यथाधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

चूंकि कुछ उपबंधों को छोड़कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के प्रचालन के आरंभ हेतु अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण के भाग—III, खंड 4, सं. 546 में दिनांक 09.11.2022 को प्रकाशित हुई थी।

और अब, अतएव, एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के निम्नलिखित उपबंध दिनांक 01.04.2023 से प्रवृत्त होंगे:—

- i. विनियम 6 के अधीन टीआरएएस से संबंधित उपबंध;
- ii. विनियम 14 से 19;
- iii. विनियम 20 से 22 में टीआरएएस से संबंधित उपबंध
- iv. विनियम 26

और, यह और अधिसूचित किया जाता है कि विनियम 26 के प्रवृत्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2015 के अधीन जारी विस्तृत क्रियाविधियाँ दिनांक 01.04.2023 से प्रचालन में नहीं रहेंगी।

हरप्रीत सिंह प्रथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/ असा./626/2022-23]

1097 GI/2023 (1)

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2023

No. RA-14026(11)/3/2019-CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 85 of the Gazette of India Extraordinary on 12.02.2022.

Whereas, the Clause (2) of Regulations 1 of the Ancillary Service Regulations provides that the Regulations shall come into force with effect from such date as may be notified by the Commission.

Whereas, the Notification for commencement of operation of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 except certain provisions were published in Part-III, Section 4, No. 546 of the Gazette of India Extraordinary on 09.11.2022.

And, now, therefore, it is hereby notified that the following provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 shall come into force from 01.04.2023: -

- i. Provisions pertaining to TRAS under Regulation 6;
- ii. Regulations 14 to 19;
- iii. Provisions pertaining to TRAS in Regulations 20 to 22
- iv. Regulations 26.

And, it is further notified that with the coming into force of Regulations 26, the Detailed Procedures issued under Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2015 shall cease to be in operation from 01.04.2023.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./626/2022-23]